हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉंवटा साहिब द्वारा दिनांक 27.05.2022 को श्रीयुत महादेव माइंस एंड मिनरल्स, पार्टनर श्री संजय कुमार गुप्ता, वंश गुप्ता, केशव गुप्ता हाउस नंबर-275, वार्ड नंबर 8, तहसील पॉंवटा साहिब जिला सिरमौर, (हि. प्र.) की, खसरा नंबर 953/1/1 और कुल खनन क्षेत्र 3-55-94 हेक्टेयर, मौजा मोहाल उपसम्पदा बातामंडी, तहसील पॉंवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि. प्र.) भूमि पर स्थित रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 67,500 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉंवटा साहिब द्वारा **दिनांक 27.05.2022** को श्रीयुत महादेव माइंस एंड मिनरल्स, पार्टनर श्री संजय कुमार गुप्ता, वंश गुप्ता, केशव गुप्ता हाउस नंबर-275, वार्ड नंबर 8, तहसील पॉंवटा साहिब जिला सिरमौर, (हि. प्र.) की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई खुला मैदान बजाज आयल कारपोरेशन लिमिटेड के समीप ग्राम बातामंडी, तहसील पॉंवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई। प्रस्तावित खनन पट्टा **खसरा नंबर 953/1/1** और कुल खनन क्षेत्र **3-55-94 हेक्टेयर, मौजा मोहाल उपसम्पदा बातामंडी**, तहसील पॉंवटा साहिब जिला सिरमौर, (हि. प्र.) भूमि पट्टा यमुना नदी पर स्थित रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन **(क्षमता 67,500 टन प्रति वर्ष), ई. आई. ए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006** के अतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर कि अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि **संलग्न-1** में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉंवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कि पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिपण्णी
1	श्री पवन शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉंवटा साहिब।	इन्होने कहा कि- खनन क्षेत्र से स्टॉक यार्ड की दूरी कितनी है, तथा क्या परिवहन के लिए मार्ग को चिन्हित किया गया है ? कच्चे गाल के ढुलान से उड़ने वाली धूल मिटटी की रोकथाम हेतु क्या उपाय किये जायेगे?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि स्टॉक यार्ड की दूरी लगभग 300 मीटर दूर होगी तथा खनन क्षेत्र से स्टॉक यार्ड तक की सड़क मार्ग को चिन्हित किया गया है जिसपर परिवहन के कारण उड़ने वाली धूल व मिट्टी को रोकने हेतु समय-समय पर टैंकर द्वारा जल छिड़काव किया जायेगा।
2	श्री मोहन सिंह, निवासी ग्राम पातलियों।	इन्होने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय लोगो को रोजगार मिलना चाहिए तथा सामाजिक कार्य जैसे की गरीब कन्याओ की शादी करवाने आदि हेतू आर्थिक मदद दी जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि इन विषयों पर पहले ही प्रावधान किये गए है साथ ही गरीब बच्चो की पढाई इत्यादि हेतू मदद की जाएगी। ।

3	श्री सुरजीत सिंह नागरा, निवासी ग्राम संतोख गढ़, पॉवटा साहिब।	इन्होने कहा कि परियोजना से स्थानीय लोगो को रोजगार के अवसर मिलेगे।इन्होने सुझाव दिया कि नदी मे हर 500 मीटर या एक किलोमीटर पर चेक डैम बनाये जाए जिस से रेत बजरी आदि कच्चा माल संग्रहित हो सके। इसके अतिरिक्त भूमि कटाव को रोकने हेतू अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए।	श्री सुरेश भारद्वाज, खनन अधिकारी सिरमौर द्वारा कहा गया कि नदी के प्राकृतिक रास्ते को नही रोका जा सकता है। इस सम्बन्ध मे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (N.G.T) द्वारा भी निर्देश दिए गए है। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि वृक्षारोपण हेतु स्थानीय पंचायत व लोगो के सहयोग से कार्य किया जाएगा।
4	श्री देवेन्दर कुमार, निवासी ग्राम बहरहाल।	इन्होने कहा कि इस प्रस्तावित खनन परियोजना से ग्रामवासियो को रोजगार मिलेगा हमे कोई आपत्ति नही है, इसके अतिरिक्त वाहनों के चलने से जो धूल उड़ेगी उसको कम करने का प्रबंध किया जाये। इसके अतिरिक्त इन्होने कहा कि क्या परियोजना प्रस्तावक गरीब परिवारों को घर बनाने व सामाजिक कार्य जैसे की धार्मिक स्थानों व स्कूल भवन निर्माण हेतू निर्माण सामग्री कम दाम पर मुहैया कराएंगे।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि धूल को रोकने के लिए मार्ग पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जगह जगह पर गति अवरोधक भी लगाए जायेंगे. जिससे की वाहनों की गति भी काम रहेगी और धूल भी कम, उड़ेगी। इन्होने आश्वासन दिया कि गरीब परिवारो को भवन निर्माण सामग्री निशुल्क मुहैया कराइ जाएगी। इसके अतिरिक्त श्री पवन शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब ने सुझाव दिया कि पानी के छिड़काव हेतु एक पूर्ण समर्पित वाटर टैंकर सुनिश्चित किया जाए।
5	श्री जसविंदर सिंह, निवासी ग्राम बहरहाल।	इन्होने कहा कि खनन नियमानुसार हो इसको कोन सुनिश्चित करेगा? क्योकि अक्सर निर्धारित मापदंडो से अधिक खनन किया जाता है जिसके परिणाम स्वरुप भूमि कटाव होता है। अतः मेरा निवेदन है की परियोजना प्रस्तावक व सम्बंधित विभाग आश्वासन दे की इस परियोजना से कोई जान -माल का नुक्सान नही होगा तथा हमारी जमीन और फसलों को कोई नुक्सान नही होगा। इसके अतिरिक्त इन्होने मांग रखी कि स्थानीय लोगो को ही रोजगार मे प्राथमिकता दी जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि खनन कार्य नियमानुसार ही किया जायेगा। इन्होने कहा कि भूमि कटाव रोकने हेतु जहां आवश्यक होगा स्थानीय लोगो व स्थानीय पंचायत के साथ सहयोग कर डंगे व सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी।

6	श्री क्षेत्र सिंह धीमान, निवासी ग्राम बातामंडी।	इन्होने कहा कि क्षेत्र मे पहले से लगे क्रशर के कारण अत्यधिक भूमि कटाव हुआ है जिससे कि नदी किनारे लगभग 150 फुट गहरी खाई बन गई है। मैं सम्बंधित विभाग के अधिकारी से अपील करता हूँ कि वह मोके का निरिक्षण करे।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना मे मैन्युअल माध्यम से नियमानुसार खनन किया जाएगा। खनन पट्टा ना होने की स्थिति मे गैर कानूनी खनन मशीनो द्वारा होता है तो भूमि कटाव की सम्भावना बनती हैं। इसके अतिरिक्त श्री सुरेश भारद्वाज, खनन अधिकारी सिरमौर ने कहा कि नदी के बहाव से होने वाले कटाव को रोका नही जा सकता क्योकि नियमानुसार हम नदी के प्राकृतिक रास्ते को रोक नही सकते। खनन ना होने की सूरत मे जल निकासी मे बाधा भी आ सकती हे जिससे साथ लगती जमीनो को बाढ़ का खतरा या भूमि कटाव का खतरा भी हो सकता है। इन्होने आश्वासन दिया कि यदि खनन कार्यो से भूमि कटाव हो रहा हे तो उस क्षेत्र मे खनन कार्य को रोका जाएगा। इसके अतिरिक्त हेमंत सिंह निवासी बातामंडी ने कहा कि भूमि कटाव खनन कार्यो से नही हुआ हे अपितु कुछ वर्ष पूर्व नदी की दूसरी तरफ उत्तराखंड मे नहर का निर्माण हुआ था जिसका मलबा नदी की दूसरी और जंगल के साथ डाला गया, परिणाम स्वरुप नदी के बहाव की दिशा बदलने से यह भूमि कटाव हुआ है।
7	श्री श्रवण कुमार, सदस्य जिला परिषद् निवासी ग्राम बद्रीपुर।	इन्होने कहा कि इसप्रकार कि जनसुनवाई परियोजना स्थापित होने के बाद भी हर 5 वर्षो मे होनी चाहिए, क्योकि परियोजना के क्रियान्वयन के बाद ही यह पता चल सकेगा की किस परियोजना से क्या लाभ व क्या हानि हुई है, साथ ही यह भी पता चल सकेगा की किस परियोजना ने नियमानुसार खनन कार्य किया हैं या नियमो कि अवहेलना की है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि खनन कार्य नियमानुसार हो, सम्बंधित विभाग इसको सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक हर 6 महीने मे कंप्लायंस रिपोर्ट सम्बंधित विभाग को जमा कराता हे जिससे यह सुनिश्चित होता है कि खनन कार्य नियमानुसार हो रहा है।

8	श्री बहादुर सिंह, निवासी ग्राम पातलियों।	इन्होने सवाल किया कि कोनसा विभाग व अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि खुदाई प्रस्तावित एक मीटर गहराई तक ही की जाएगी। इन्होने आरोप लगाया की खुदाई निर्धारित मापदंडो से अधिक होती है और सम्बंधित अधिकारी भी इसमे लिप्त होते है।	श्री सुरेश भारद्वाज, खनन अधिकारी सिरमौर ने आश्वासन दिया कि खनन नियमानुसार ही होगा।
9	श्री मनीष कुमार शर्मा, निवासी ग्राम बातामंडी।	इन्होने कहा कि पहले भी जो इस क्षेत्र मे खनन पट्टे व क्रशर लगे है उनका रास्ता भी गॉववालो की जमीन से हो कर जाता है परन्तु स्थानीय लोगो को आज तक इन परियोजनाओ द्वारा कोई लाभ व सहायता नही दी गई। मेरा निवेदन है कि इस परियोजना मे स्थानीय लोगो को रोजगार दिया जाए साथ ही सार्वजनिक सामाजिक कार्यो के लिए भी सहयोग किया जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि वह पहले भी विभिन्न सामाजिक कार्यो मे बढ़ चढ़ कर सहयोग करते है और भविष्य मे भी करेगे। रोजगार स्थानीय लोगो को ही दिया जायेगा।
10	श्री तौहीद, निवासी ग्राम पातलियों।	इन्होने कहा कि इस नदी के दूसरी तरफ उत्तराखंड से अवैध खनन होता है यदि यह खनन पट्टा ना भी हो तो भी दूसरी और से अवैध खनन होता रहेगा। इसलिए हम खनन पट्टे का समर्थन करते है परन्तु रोजगार स्थानीय लोगो को ही दिया जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि रोजगार स्थानीय लोगो को ही दिया जायेगा।
11	श्री रविकांत चौधरी, निवासी ग्राम बातामंडी।	इन्होने कहा कि पूर्व मे स्थापित परियोजनाओं मे कुछ चुनिंदा लोगो के ही ट्रेक्टर ट्रालियों को रेंट पर माल ढुलाई के लिए रखा गया है। हम चाहते है कि इसप्रकार का पक्षपात ना हो और सभी उपलब्ध स्थानीय लोगो के ट्रेक्टर ट्रालियों को एक समान मौका दिया जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि सबको एक समान अवसर दिया जायेगा। स्थानीय लोग या पंचायत एक समिति बना कर भी इस बारे मे निर्धारित कर सकते है कि कितने समय के लिए कोनसा ट्रेक्टर ट्राली रखी जाए।

12	श्री तरनजीत सिंह निवासी बातामंडी।	इन्होने कहा कि गैर कानूनी खनन को रोका जाए साथ ही पेड़ लगा कर एक ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि हम स्थानीय लोगो के साथ हर मुद्दे पर सहयोग करेगे।
13	श्री धनीराम, निवासी ग्राम बातामंडी।	इन्होने कहा कि क्षेत्र मे पहले से स्थापित खनन परियोजनाओ द्वारा पूर्व निर्धारित सड़क का उपयोग ना करते हुए एक अन्य सड़क अपनी सुविधा अनुसार बनाया गया है हम चाहते है कि गांव से गुजरने वाली पूर्व निर्धारित सड़क को इस्तेमाल किया जाए तथा उसकि मरमत कराइ जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि परियोजना शुरु होने के पश्चात् हम निर्धारित सड़क की मुरमत व रखरखाव सुनिश्चित करेगे।
14	श्री शमशेर प्रकाश, निवासी ग्राम बातामंडी।	इन्होने कहा कि खनन क्षेत्र तक पहले से सड़क बनी हुई है, हम चाहते हे कि उसकी निशानदेही करवा कर उसे उचित तरीके से निर्धारित किया जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि स्थानीय पंचायत के सहयोग व दिशानिर्देश अनुसार कार्य किया जायेगा।
15	श्री अनिंदर सिंह नोटी, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन (हि. प्र.)	इन्होने कहा कि रोजगार स्थानीय लोगो को दिया जाए और उन्ही के ट्रेक्टर ट्रालियों को माल धुलाई मे उपयोग किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि सामाजिक कार्यो के लिए कम दाम पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई जाए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन विषयो पर पहले ही आश्वासन दिया जा चुका है।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पोंवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया है एवं इस जनसुनवाई की कार्यवाही को कलमबध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। अंत मे जनसुनवाई के समापन पर अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर
नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)